# NAVODAYA VIDYALAYA EMPLOYEES WELFARE ASSOCIATION (NVEWA)

(REGD. IN DELHI UNDER SOCIETIES REGISTRATION ACT 1860 REGISTRATION NO. DISTRICT-SHAHDARA/SOCIETY/1561/2020)

Website:- www.nvewa.org Email:- nvewacec@gmail.com

Yogendra Sharma
President
08708865858

Area of Operation- All INDIA

" सेवा अस्माकं धर्मः "

Rahul Singh
Gen. Secretary
09554362044



**Hon. Devu Singh Chouhan**
(M.P.,Kheda,Gujrat)
National Patron

**Vice Presidents**
Amar Singh
Umesh Bhardwaj

**Dy. Gen. Secretaries**
Avinash Pratap Rai
Dr S. Balasubramanian
S.Paul

**Secretaries**
S. K. SONI
(Organisation)
R. Bandyopadhyaya
(Academic)
Arjit Das
(Staff Welfare)
Ranjeeta Senapati
(Women welfare)
Y.K.Verma
(Social Welfare)
Dr Gurdit Singh
(Pub.Relation)
P.K.Chansoriya
(Press Sec. )

**Spokesperson**
Sahab Ali Khan
**Treasurer**
Tara Chand Saini
**Legal Advisor**
Ad. A. Priyadarshi
**Member of CEC**
M.K. Singh
P.K. Gupta
Arun Gaur
D.S. Tomar
M.R. Sharma
N. Surayvanshi
Durga Prasad
Dinesh Negi
Dr S K Singh
Vipin Gupta
Mohd Ayaz Ansari


**Ref.No/NVEWA/CEC/2020/PRS/SRE/88** **DATE-/10/2020**

प्रति,

माननीय आयुक्त महोदय

नवोदय विद्यालय समिति

नोएडा

विषय- जवाहर नवोदय विद्यालयों के गैर शैक्षणिक कर्मचारियों को 10% आवासीय भत्ता देने व दैनिक कार्य के संबंध में ।

महोदय,

सविनय निवेदन है जवाहर नवोदय विद्यालयों के सभी गैर शैक्षणिक कर्मचारी ग्रामीण एवं दूरस्थ अंचलों में विद्यालय परिसर में ही निवास करते है एवं छात्र हित में निर्धारित कार्यसमय एवं कार्यदिवस से ज्यादा अपना सर्वश्रेष्ठ सहयोग प्रदान करते है परंतु इन्हें 10% आवासीय भत्ता नहीं दिया जाता है । निम्नलिखित बिन्दुओं के माध्यम से 10% आवासीय भत्ता गैर शैक्षणिक कर्मचारियों को देने हेतु आपके ध्यानकर्षण एवं निवारण हेतु निम्नवत अनुरोध है -

**<u>(1)भोजनालय(मेस)कर्मचारियों के कार्य समय विवरण आदि-</u>**

1. भोजनालय(मेस)कर्मचारियों के कार्य समय अभी तक परिभाषित नहीं किए गए हैं ।
2. उक्त कर्मचारी प्रतिदिन सुबह 4,00 बजे से रात्रि 10,30 बजे तक व्यस्त रहते हैं ।
3. हफ्ते में दो या तीन दिन जिस दिन पुरि या पराठा, सब्जी, चाय हो वे 3,00 बजे सुबह से ही मेस का कार्य आरम्भ कर देते हैंजिसके कारण 7 बजे तक नाश्ता तैयार हो पाता है

4, भारत सरकार के श्रम मंत्रालय के अनुसार किसी भी सरकारी सेवक या दैनिक वेतनभोगी से प्रतिदिवस 8 घंटे से ज्यादा तथा तथा साप्ताहिक 48 घंटे से ज्यादा कार्य नहीं लिया जाता है परंतु नवोदय विद्यालय के भोजनालय (मेस) कर्मचारियों को इसका लाभ नहीं दिया जाता है ।

5.प्रतिदिवस 14 घंटे से ज्यादा कार्य करने उपरांत भी इन्हे अतिरिक्त समय(OVER-TIME)भत्ता नहीं दिया जाता है ।

6.रसोई में प्रतिदिवस 14 घंटे से ज्यादा कार्य करने उपरांत भी इन्हे जोख़िम(RISK)भत्ता नहीं दिया जाता है ।

7.कुक से कैटरीन असिस्टेंट के प्रमोशन का प्रावधान बनाया जाय जिसे योग्य ब्यक्तियों को इसका लाभ मिल सके,

8,शैक्षणिक कर्मचारियों के कार्य समय परिभाषित न होने से उन्हे प्रतिमाह 10% आवासीय/विशेष भत्ता दिया जाता है ।

9.प्रतिदिवस 14 घंटे से ज्यादा कार्य करने उपरांत उक्त कर्मचारी तनाव ग्रस्त होकर मानसिक और शारीरिक रोग के शिकार हो रहे हैं ।

10,महोदय इसके साथ ही मेस कर्मी के नाम व अन्य कर्मी के नाम को संशोधित कर इनके मान सम्मान को बढ़ाया जा सकता है जैसे-----

1,खानपान सहायक-----------खानपान प्रबंधक

2,कुक--------------------------सेफ

3,मेस हेल्फर-------------------सेफ सहायक

4,सफ़ाई कर्मचारी-------------हाउसकीपर

5,चौकीदार-------------------सुरक्षा गार्ड

6, स्वीपर/चौकीदार---------------MTS / केयर टेकर (प्रशिक्षण प्राप्त)

**(2)ECP,LAB.ATT.,MTS,चौकीदार एवं स्वीपर आदि के कार्य समय-**

**1.**उपरोक्त सभी कर्मचारियों के कार्य समय अभी तक परिभाषित नहीं किए गए हैं ।

3.ECP को प्रतिदिन सुबह 5 बजे से रात्रि तक कार्यविधि के समय की कोई सीमा निर्धारित नहीं हैं, एवं एक ही व्यक्ति से इलेक्ट्रिशियन और प्लंबर व पम्प आपरेटर तीनों कार्य बिना कोई हेल्पर दिए लिए जाते हैं ये पूर्ण रूप से टेक्निकल होते हैं जिनका प्रमोशन 2400 ग्रेडपे के साथ किया जाय ।

4.LAB. ATT. को भी प्रतिदिन सुबह 5 बजे से रात्रि 10 बजे तक समयान्तराल में अपरिभाषित कार्य आवंटित हैं ।

5.MTS को प्रतिदिन सुबह 5 बजे से रात्रि 10 बजे तक समयान्तराल में कार्यवाधि निर्धारित हैं जबकि न.वि.स.मुख्यालय और क्षेत्रीय कार्यालय के MTS हेतु प्रतिदिवस मात्र 8 घण्टे एवं 05 कार्य दिवस ही निर्धारित है समिति द्वारा MTS/केयर टेकर का प्रशिक्षण कराए जाने के बावजूद चौकीदार अथवा स्वीपर, MTS है या केयर टेकर ये लोग खुद भ्रमित है जिनका लाभ विद्यालय प्रशासन लेता है, अतः इनके पदनाम इनकी पर्सनल फ़ाइल में दर्ज कर इनकी पदनाम की पहचान दी जाए ।

**6.**चौकीदारों के कार्य समय 12घंटे के निर्धारित है जो कि भारत सरकार के श्रम मंत्रालय के निर्देशानुसार नहीं है। परंतु इन्हे रात्रि कालीन भत्ता या अतिरिक्त समय(OVER-TIME)भत्ता नहीं दिया जाता है ।

7.स्वीपर सह चौकीदार(SCC) से भी दो पदों के कार्य लिये जाने की परंपरा है । इन्हें भी प्रतिदिन सुबह 5 बजे से रात्रि 10 बजे तक समयान्तराल में व्यस्त रखा जाता है कुछ स्वीपर जो MTS का प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं वे आज भी स्वीपर का काम करने को विवश हैं ।

8.उपरोक्त सभी पदों के कार्य समय,कार्य दिवस में न.वि.स.मुख्यालय और क्षेत्रीय कार्यालय के कर्मचारियों कार्य समय,कार्य दिवस में भारी असमानता है इसके उपरांत भी 10% आवासीय भत्ता से वंचित किया गया है ।

**(3)कार्यालयीन कर्मचारियों के कार्यसमय एवं कार्यदिवस-**

1.उपरोक्त सभी कर्मचारी छात्र-छात्राओं के हित मे ग्रामीण एवं संसाधनहीन क्षेत्रों में स्थित विद्यालय परिसर में ही निवास कर अपनी सेवाएँ देते हैं जबकि मुख्यालय/क्षेत्रीय कार्यालयों के अधिकरियों/ कर्मचारियों अपनी सेवाएँ मेट्रो शहरों में देते हैं। इसके उपरांत भी कोई अतिरिक्त भत्ता नहीं दिया जाता है।

2.उपरोक्त सभी कर्मचारियों हेतु प्रतिसप्ताह 06 कार्य दिवस निर्धारित हैं जबकि न.वि.स. मुख्यालय/क्षेत्रीय कार्यालयों हेतु मात्र 05 कार्य दिवस निर्धारित है । प्रतिसप्ताह 01 कार्यदिवस का अंतर होने के पश्चात भी 10% आवासीय भत्ता से वंचित किया गया है ।

3.उपरोक्त सभी कर्मचारियों को कुल वार्षिक अवकाश मात्र 110 दिवस का दिया जाता है जबकि मुख्यालय/क्षेत्रीय कार्यालयों के अधिकरियों/ कर्मचारियों को कुल वार्षिक अवकाश 162 दिवस का दिया जाता है ।

4.उपरोक्त सभी कर्मचारियों के बच्चों को गुणवत्ता युक्त प्राथमिक शिक्षा/उच्च शिक्षा एवं चिकित्सा सुविधाओं की अनुपलब्धता का सामना करना पड़ता है जबकि मुख्यालय/क्षेत्रीय कार्यालयों के अधिकरियों/ कर्मचारियों को ऐसी विपरीत परिस्थिति सामना नहीं करना पड़ता है।

5.उपरोक्त सभी कर्मचारियों के स्थानांतरण मात्र विद्यालय स्तर तक प्रतिबंधित है इन्हे मुख्यालय/क्षेत्रीय कार्यालयों में स्थानांतरण लाभ नहीं दिया जाता है जबकि मुख्यालय/क्षेत्रीय कार्यालयों के अधिकारियों/ कर्मचारियों स्थानांतरण मात्र मुख्यालय/क्षेत्रीय कार्यालय स्तर में आरक्षित है ।

6.उपरोक्त सभी कर्मचारियों को गृह जिले में स्थानांतरण लाभ नहीं दिया जाता है जबकि मुख्यालय/क्षेत्रीय कार्यालयों के अधिकारियों/ कर्मचारियों स्थानांतरण गृह राज्य स्थानांतरण लाभ दिया जाता है।

7.उपरोक्त कथन की पुष्टि निम्न लिखित तालिका से करें -

## अवकाश एवं सुविधाएं तालिका

| क्र. | अवकाश एवं सुविधाएं | न.वि.स. (मुख्या.) एवं क्षे.कार्या. कर्मचारी | जनवि कार्यालयीन एवं गैर अवकाशीय कर्मचारी | अंतर |
|---|---|---|---|---|
| 1 | आ. अवकाश | 08 | 08 | |
| 2 | राजपत्रित अवकाश | 17 | 17 | |
| 3 | प्रतिबंधित अवकाश | 03 | 03 | |
| 4 | **अर्जित अवकाश** | **30** | **30 (मेसकर्मी को 10)** | |
| 5 | रविवार अवकाश | 52 | 52 | |
| 6 | **प्रत्येक शनिवार** | **52** | **0** | 52 |
| 7 | **कुल अवकाश** | **162** | **110** | **52** |
| 8 | **साप्ताहिक कार्य दिवस** | **05** | **06** | **01** |
| 9 | **कार्य समय** | **8 घंटे** | **8-16 घंटे** | |
| 10 | स्थानांतरण स्तर | मुख्या./क्षे.कार्या.स्तर | अखिल भारतीय | मुख्या./क्षे.कार्या. स्तर से वंचित |
| 11 | पदांकन स्थल | मेट्रो शहर | ग्रामीण स्तर | शहरी/ग्रामीण |
| **12** | **प्राथमिक/उच्चशिक्षा/ चिकित्सा उपलब्धता** | **गुणवत्ता युक्त** | **औसतहीन** | |

अत: निवेदन है कि अतिशीघ्र जवाहर नवोदय विद्यालयों के गैर अवकाशीय कर्मचारियों कों 10% आवासीय भत्ता स्वीकृत किए जाएं तथा सभी गैर शिक्षण कर्मचारियों को साप्ताहिक अवकाश भी देने की कृपा की जाए ।

भवदीय

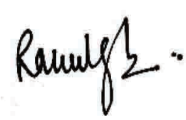

योगेंद्र शर्मा
**National President**

राहुल सिंह
**National Gen.Secretary**

**Copy To-**

1. **Commissioner NVS.**
2. **Honorable Minister of Education.**
3. **Secretary, Department of School Education & Literacy.**
4. **Joint Secretary, Department of School Education & Literacy**